



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

NAAC Accreditation- "A" Grade

कादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

कुलसचिव/ Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

क्रमांक: 066/2014/अ.म./02/235

तिथि : 02.06.2017

अधिसूचना

शिक्षा विभाग के अध्ययन मंडल का गठन पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 066/2014/अ.म./02/384 दिनांक 22.05.2015 द्वारा किया गया है जिसका कार्यकाल दिनांक 21.05.2017 को समाप्त हो गया है।

पी-एच.डी. अध्यादेश के अनुच्छेद 11 के अनुसार शिक्षा विभाग के अध्ययन मंडल (Board of Studies) का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

- | | |
|--|---|
| 1. विभागाध्यक्ष- | अध्यक्ष |
| 2. विभाग के सभी शिक्षक- | सदस्य |
| 3. कुलपति द्वारा नामित भूतपूर्व विद्यार्थी- | सुश्री ज्योति अग्रवाल |
| 4. कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विषय विशेषज्ञ- | प्रो. विद्याशंकर शुक्ल, आगरा
डॉ. राजश्री वासणे, नागपुर |

क्रम संख्या 03 और 04 के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा। तीन सदस्यों की उपस्थित से बैठक का कोरम पूरा होगा जिसमें एक बाह्य विशेषज्ञ का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत की जाती है।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग को संबंधित सभी को सूचित करने के अनुरोध के साथ।
4. अकादमिक विभाग।
5. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. संबंधित फाइल।

कादर नवाज़ ख़ान
(कादर नवाज़ ख़ान)

03/06/17